

उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-12/2018/132/37-1-2018-2(14)/2017

लखनऊ: दिनांक 19 जनवरी, 2018

कार्यालय-आदेश

पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग के अधिकारियों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति के अनुसार निम्नलिखित अधिकारियों को 16 वर्ष एवं 26 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05-11-2014 के अधीन उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-7 में अंकित तिथि से द्वितीय वित्तीय स्तरोंन्नय के रूप में वेतन बैंड-3 रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 7600/- एवं स्तम्भ-8 में अंकित तिथि तृतीय वित्तीय स्तरोंन्नय के रूप में वेतन बैंड-3 रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 8700/- स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| क्र0 | अधिकारी का नाम | ज्ये0 क्र0 | विभाग में तदर्थ नियुक्ति/ योगदान की तिथि | मौलिक नियुक्ति की तिथि | 08 वर्ष की सेवा पर समयमान वेतनमान की तिथि | द्वितीय ए0सी0पी0 देयता की तिथि | तृतीय ए0सी0पी0 देयता की तिथि |
|------|-----------------------------|---------------|---|------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | डा0 धर्मवीर सिंह यादव | 45 | 08-1-72 | 7-10-72 | 01-1-94 | - | 01-12-08 |
| 2 | डा0 योगेन्द्र बहादुर सिंह | 164 | 12-11-73 | 07-8-74 | 01-7-94 | - | 01-12-08 |
| 3 | डा0 यशपाल सिंह नायक | 396 | 20-4-84 | 08-4-85 | 01-7-94 | 01-12-08 | 20-04-10 |
| 4 | डा0 इन्द्रमणि | 510 | 02-2-87 | 18-2-89 | 02-2-95 | - | 02-02-13 |
| 5 | डा0 रघुनाथ सिंह | 565 | 01-8-87 | 18-2-89 | 01-8-95 | 01-12-08 | 01-08-13 |
| 6 | डा0 ओम प्रकाश श्रीवास्तव | - | 16-1-85 | 21-7-93 | 01-1-94 | 01-12-08 | 16-01-11 |
| 7 | डा0 राकेश रंजन शुक्ला | 507 | - | 24-1-90 | 24-1-98 | - | 24-01-16 |
| 8 | डा0 हरपाल सिंह | 516 | - | 09-4-90 | 09-4-98 | - | 09-04-16 |
| 9 | डा0 विनोद कुमार सिंह | 557 | - | 08-2-90 | 08-2-98 | - | 08-02-16 |
| 10 | डा0 विद्या शंकर | 572 | - | 23-1-90 | 22-1-98 | - | 23-01-16 |
| 11 | डा0 भूदेव सिंह | 652 | - | 13-1-90 | 12-1-98 | 01-12-08 | 13-01-16 |
| 12 | डा0 राकेश बहादुर सिंह | 685 | - | 08-2-90 | 08-2-98 | - | 08-02-16 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|------|---------|----------|---------|----------|----------|
| 13 | डा0 रमेश चन्द्र | 831 | 20-6-89 | 02-6-90 | 20-6-97 | - | 20-6-15 |
| 14 | डा0 राजेश कुमार-2 | 910 | 10-6-89 | 25-5-91 | 10-6-97 | - | 10-06-15 |
| 15 | डा0मो0 फैयाज खां | 731 | 16-8-89 | 02-6-90 | 16-8-97 | - | 16-8-15 |
| 16 | डा0 रमेशपाल सिंह वर्मा | 793 | 09-6-89 | 09-6-90 | 09-6-97 | - | 09-06-15 |
| 17 | डा0 ब्रम्हानन्द गोयल | 802 | 20-6-89 | 02-6-90 | 20-6-97 | 01-12-08 | 20-6-15 |
| 18 | डा0 दिनेश कुमार आदित्य | 833 | 06-6-89 | 06-6-90 | 06-6-97 | - | 06-06-15 |
| 19 | डा0 अनिल कुमार सिंह कुशवाहा | 842 | 21-6-89 | 06-6-90 | 21-6-97 | - | 21-06-15 |
| 20 | डा0 सुरेश चन्द्र शुक्ला | 902 | 21-6-89 | 25-5-91 | 21-6-97 | - | 21-06-15 |
| 21 | डा0 चन्द्रभाल वर्मा | 1309 | 27-6-89 | 19-11-98 | 27-6-97 | - | 27-06-15 |

2- कृपया उक्त शासनादेश दिनांक 05-11-2014 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-12/2018/132(1)/37-37-1-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिकारी को वित्तीय स्तरान्तर का लाभ दिये जाने से पूर्व उनसे संबंधित सेवा अभिलेखों का सत्यापन अपने स्तर पर कर लेंगे।
- 2- संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड-2 द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।